भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4698
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पड़ोसी देशों के साथ समझौते

†4698. **डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या भारत और पड़ोसी देशों के बीच स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि के अधिग्रहण या हस्तांतरण से संबंधित कोई समझौता हुआ है;
(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौतों का ब्यौरा क्या है, इसमें शामिल देश, समझौते की शर्तें और भारत की क्षेत्रीय सीमाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और
(ग) क्या स्वतंत्रता के पश्चात् किसी समझौते को संशोधित, समाप्त या निरस्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कार्रवाइयों के क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री पबित्र मार्गेरिटा]

(क) से (ग) भूमि सीमा समझौते (एलबीए) 1974 और इसके 2011 के प्रोटोकॉल के अनुसार, भारत में 51 तत्कालीन बांग्लादेशी एन्क्लेव और बांग्लादेश में 111 तत्कालीन भारतीय एन्क्लेव को 31 जुलाई 2015 की मध्यरात्रि से भौतिक रूप से दूसरे देश में स्थानांतरित कर दिया गया था।

भूटान के संबंध में, 1949 में हस्ताक्षरित शाश्वत शांति और मैत्री संधि के अनुसार, भारत ने भूटान सरकार को दीवानगिरी नामक क्षेत्र का लगभग 32 वर्ग मील क्षेत्र वापस करने पर सहमति व्यक्त की थी। संधि के अनुसार, असम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1951 के अनुसार भूटान के दक्षिण में स्थित 32.81 वर्ग मील का क्षेत्र भूटान को सौंप दिया गया था।

*****